गत तीन वर्षों में कोयले के उत्पादन की मात्रा

74. **श्री बाबू लाल सोलंकी :**

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :

श्री टी० आर० शमन्ना :

क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों मे, वर्षवार, कोयले के उत्पादन की मात्रा कितनी है और गत 6 महीनों में कोयले का मासिक उत्पादन (चालू महीने सहित) कितना हुआ है ;

(ख) तापीय बिजली घरों को कोयला सप्लाई करने और बिजली घरों तथा कोयले पर आधारित उद्योगों के पास कोयले का पर्याप्त भण्डार सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या कोयला मंत्रालय ने कोयले की शीघ्र आवाजाही के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से कोई समन्वय समिति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) :(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के उत्पादन की मात्रा नीचे दी गई है –

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टनों में)
1976–77	101.04
1977–78	101.00
1978–79	101.94

चालू वर्ष के पिछले छह महीनों में कोयले क उत्पादन नीचे दिया गया है :—

महीना	उत्पादन (लाख टनो मे) अनन्तिम
सितम्बर, 1979	78.97
अक्टूबर, 1979	78.72
नवम्बर, 1979	86.87
दिसम्बर, 1979	94.75
जनवरी, 1980	99.34
फरवरी, 1980	100.69

(ख) ताप बिजली घरों की कोयले की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें संयोजित कोयले की मात्रा बढ़ा दी गई है। रेलवे कोयले की ढुलाई के लिए वैगन अधिक संख्या में देने के लिए सहमत हो गई है ताकि बिजलीघरों में कोयले के स्टाक बनाए जा सकें। रेलवे यह प्रयास भी कर रही है कि अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी कोयला वैगनों की संख्या बढ़ाई जाए।

(ग) जी नही।

(घ) प्रश्न नही उठता।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में लम्बित मामले

75. **श्री बाबू लाल सोलंकी :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री टी० आर० शमन्ना :

श्री के० प्रधानी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय मे कितने मुकदमें लम्बित है ;

(ख) इसमे से प्रत्येक न्यायालय में क्रमश: कितने मुकदमे 5 तथा 10 वर्षों से अधिक समय से लम्बित है; और

(ग) इतनी अधिक संख्या में इन मुकदमों के लम्बित रहने के मुख्य कारण क्या हैं और इन मुकदमों के निपटान मे तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमे वह जानकारी दी गई है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने भेजी है।

(ग) अनेक जटिल बातों के कारण न्यायालयों में मामले इकट्ठे हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि न्याय प्रशासन का कार्य निरन्तर चलता रहे। तदनुसार, सरकार इस समस्या के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है। ऐसा करने में सरकार विधि आयोग की सिफारिशों का ध्यान रखेगी।